उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस0 पिटीशन नं0–21/2022–23

अरविन्द कुमार संथालिया

अध्यक्ष हिमालयन एकेडमी

शंकरपुर मेहरमा

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 13/8/24

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक अरविन्द कुमार संथालिया, अध्यक्ष हिमालयन एकेडमी शंकरपुर, मेहरमा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(क्रि0) नं0–317/2019 में दिनांक–13.06.2022 के आदेश, जिसका प्रभावी अंश .... As such the impugned order dated 12.09.2019, issued under the signature of the C.O., Meharma in the District of Godda, whereby the Circle Officer, has directed the Officer-in-Charge to vacate the school and close the school building and hostel within two days and inform the office of the C.O., Meharma. Further prayer has been made for quashing of the order dated 05.09.2019 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Godda, whereby he has taken the decision for closing of the petitioner-school till further order and directed the Sub-Divisional Police Officer, Mahagama to comply that order, are hereby, quashed. The petitioner is directed to file fresh petition before the Deputy Commissioner, Godda, who will re-examine the matter and will consider as to whether since three years have already elapsed since the sealing of the premises in question, whether it will fulfill to go with the sealing or not. Only on that point, the order has been quashed and so far the FIR and allegation of non-affiliation of the school in question are concerned, this Court has not given any opinion and that will be open for the parties to demonstrate before the appropriate authorities. With the above observation, this petition is allowed and disposed of., के आलोक में आवेदन दिया है।

आवेदक का आवेदन है कि लीलावती देवी एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट गठित किया गया है, जिसका पंजीकरण ट्रस्ट दस्तावेज टोकन सं0–1426/2013, दिनांक–22.08.2013 द्वारा किया गया। उक्त ट्रस्ट का गठन कॉलेज, सामाजिक सेवा केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र एवं अन्य व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से किया गया है, जिसके तहत हिमालयन एकेडमी

विद्यालय शंकरपुर, मेहरमा का संचालन किया जाता है। उक्त विद्यालय नर्सरी से VIII तक के 1200 छात्र/छात्राएँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से 250 छात्र छात्रावास में रह रहे थे। उक्त विद्यालय का संचालन के लिए 40 शिक्षण कर्मचारी एवं 35 गैर शिक्षण कर्मचारी कार्य कर रहे थे। उनका आगे आवेदन है कि उक्त विद्यालय के विरूद्ध झूठे अफवाह के आधार पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मेहरमा थाना काण्ड सं0–111/2019, दिनांक–22.07.2019 में धारा 354(B), 354(D), 509 भा0द0सं0, धारा–12 पोक्सो एक्ट, धारा–67(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं धारा 3(2)(V)(ka) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दिनांक–22.07.2019 को मामला दर्ज किया गया। उक्त एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद दिनांक–05.09.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके तहत अगले आदेश तक उक्त विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को निदेश दिया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी, मेहरमा ने भी दिनांक–12.09.2019 को एक आदेश निर्गत किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने थाना प्रभारी, मेहरमा को निर्देश दिया था कि विद्यालय को खाली कर दें एवं दो दिनों के अंदर विद्यालय भवन एवं छात्रावास को बंद कर दें, जिसके आलोक में विद्यालय को सील बंद कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(क्रि0) नं0–317/2019 (हिमालयन एकेडमी शंकरपुर, मेहरमा बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर किया गया एवं उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गोड्डा के दिनांक–05.09.2019 के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने सीलिंग आदेश को रद्द कर दिया है। इसलिए उन्होंने विद्यालय के सीलबंद को खोलने के लिए अनुरोध किया है।

आवेदक के आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–2114/सा0 दिनांक–23.09.2023 से प्राप्त हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विद्यालय परिसर सीलबंद पाया गया। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन एवं स्वयं किये गये जाँच के आधार पर स्पष्ट है कि चारों प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान

पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। आरोपों के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों के खिलाफ सक्षम न्यायालय से अंतिम निर्णय आने तक अभियुक्तों को विद्यालय संचालन या अन्य ऐसे किसी गतिविधि में संबद्ध रखना/करना सही प्रतीत नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि जनहित में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के माध्यम से एक स्वतंत्र इकाई/व्यक्तियों (आरोपित व्यक्तियों/उनके परिजनों के अलावा) पठन पाठन/अन्य सार्वजनिक कार्य हेतु विद्यालय परिसर को उपयोग में लाया जा सकता है।

इसके बाद आवेदक की ओर से विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), गोड्डा के विशेष पोक्सो केश नं0–55/2022 में दिनांक–22.03.2024 के पारित आदेश की प्रति के साथ आवेदन दाखिल कर विद्यालय को खोलने हेतु निदेश देने के लिए अनुरोध किया है, जिस पर पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–1515/सा0 दिनांक–20.07.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने ग्रामीणों एवं अभिभावकों के ब्यान के आधार पर विद्यालय को खोलने के लिए अनुशंसा किया है।

उपरोक्त तथ्यो एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विद्यालय को आदेश दिनांक–05.09.2019 के द्वारा अगले आदेश तक सीलबंद कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(क्रि0) नं0–317/2019 में दायर किया गया था। उक्त रिट याचिका के आदेश दिनांक–13.06.2022 के द्वारा दिनांक–05.09.2019 के आदेश को निरस्त किया गया एवं आवेदक को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नये आवेदन दाखिल करने के लिए निदेश दिया गया, जिसके आलोक में आवेदक के द्वारा आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–1515/सा0 दिनांक–20.07.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय के आस–पास के ग्रामीण एवं अभिभावक विद्यालय को खोलने के लिए सहमत हैं, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने विद्यालय खोलने के लिए अनुशंसा किया है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), गोड्डा के न्यायालय के विशेष पोक्सो केश नं0–55/2022 से भी स्पष्ट होता है कि

आवेदक को दोषमुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्यालय को सील रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः हिमालयन एकेडमी शंकरपुर, मेहरमा को खोलने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को यह आदेश दिया जाता है कि हिमालयन एकेडमी शंकरपुर, मेहरमा के सीलबंद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा/जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा की उपस्थिति में खोल दें और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। इसकी सूचना सभी संबंधित को दिया जाय।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी०वी०सं० 176 20/09/24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.11 11:28:17 +05:30
Location: 192.168.1.2